(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं० 02 /2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषयः खांड हेतु टीआरक्यू : आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1(आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत खांड की आयात नीति में संशोधन।

सा० आ० (अ) : समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत अधिसूचना सं०–1 दिनांक 05–4–2017 में यथाअधिसूचित वर्गीकृत 'खांड' के लिए आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

2. (i) एक्जिम कोड 170114 के तहत खांड का 5 लाख मी० ट० आयात नीचे तालिका में दर्शाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों के माध्यम से मिल मालिकों/परिशोधन करने वालों द्वारा शुल्क मुक्त आयात किया जाना अनुमत है।

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पत्तनों के नाम (केवल निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से आयात अनुमत है)**	**पत्तनों की संशोधित सूची (आयात निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से ही अनुमत है)**	**क्षेत्र वार आयात प्रतिबंध (प्रत्येक क्षेत्र के सामने दर्शायी गई कुल मात्रा के भीतर किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात किया जा सकता है।)**
1.	पूर्व क्षेत्र	हल्दिया (पश्चिम बंगाल), पारादीप (ओडिशा)	हल्दिया (पश्चिम बंगाल) पारादीप (ओडिशा)	0.50 लाख मी. ट.
2.	दक्षिण क्षेत्र	तूतीकोरिन, चेन्नई (तमिलनाडु), मैंगलोर (कर्नाटक), काकीनाडा (आंध्रप्रदेश)	तूतीकोरिन चेन्नई (तमिलनाडु) मैंगलोर (कर्नाटक) काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) गंगावरम (आंध्र प्रदेश) कराईकल (पुडुचेरी)	3 लाख मी. ट.
3.	पश्चिम क्षेत्र	कांडला (गुजरात), जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट/मुंबई पोर्ट (महाराष्ट्र)	कांडला (गुजरात) जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट/मुम्बई पोर्ट (महाराष्ट्र)	1.50 लाख मी. ट.
		कुल		**5.00 लाख मी. ट.**

ii. **आवेदनः**

कालम/पैरा सं०	**अधिसूचना सं० 1 दिनांक 5–4–2017 में किया गया प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
2(ii) (ख)	आवेदक जो हल्दिया और पारादीप पत्तनों के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता को प्रस्तुत करने होगे; जो तुतीकोरिन, चेन्नई और काकीनाडा पत्तनों के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी,	आवेदक जो हल्दिया और पारादीप पत्तनों के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता को प्रस्तुत करने होगे; जबकि जो तुतीकोरिन, चेन्नई एवं कराईकल के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय

	चेन्नई को प्रस्तुत करने होंगे जबकि जो मंगलोर पत्तन के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, बेंगलुरू को प्रस्तुत करने होंगे। पश्चिमी क्षेत्र के माध्यम से आयात हेतु सभी आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, मुम्बई को प्रस्तुत किए जाएंगे।	प्राधिकारी, चेन्नई को प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक अपनी खेप का आयात मंगलोर पत्तन के माध्यम से करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, बेंगलुरू को प्रस्तुत करने होंगे; जबकि जो आवेदक काकीनाडा, विशाखापटनम और गंगावरम के माध्यम से आयात करना चाहते है उन्हे अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी विशाखापटनम को प्रस्तुत करने होंगे। पश्चिमी क्षेत्र के माध्यम से आयात हेतु सभी आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, मुम्बई को प्रस्तुत किए जाएंगे।

2(iii) कोटे की वैधताः

कालम/पैरा सं०	**अधिसूचना सं० 1 दिनांक 05–04–2017 में दी गई कोटे की वैधता**	**संशोधित प्रावधान**
2(iii)	इस अधिसूचना के अंतर्गत टीआरक्यू लाभ (शुल्क मुक्त) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार 12 जून, 2017 तक उपलब्ध होगा।	इस अधिसूचना के अंतर्गत टीआरक्यू लाभ (शुल्क मुक्त) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अनुसार 30 जून 2017 तक उपलब्ध होगा।

3. अधिसूचना सं०–1 दिनांक 05–04–2017 के पैरा 2 (vii) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता हैः–

(viii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्तः– अधिसूचना सं० 32/2016 सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2016 में यथाविनिर्दिष्ट वास्तविक प्रयोक्ता शर्त इस टीआरक्यू स्कीम के तहत किए गए आयात पर लागू होगी तथा आयातक अपनी आयात खेपों के प्रविष्टि बिल की तिथि या आवक प्रविष्टि की तारीख जो भी बाद में हो, से अधिकतम हह

दो महीनों के अंदर खांड को सफेद/परिष्कृत चीनी में परिवर्तित करेगा।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः– अधिसूचना सं० 1 दिनांक 05–04–2017 को संशोधित किया जाता है।

(ए.के.भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/विविध–13/एएम–07/पीसी 2 क से जारी)